

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / अकादमिक / अ0म0 / 2025 / 482/15

रीवा, दिनांक 18/02/25

## अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत गृहविज्ञान संकाय अन्तर्गत गृहविज्ञान के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :—

## गृहविज्ञान अध्ययन मण्डल

अधिनियम 28(2) एक

1. रिक्त

28(2) दो

1. डॉ. अर्चना गुप्ता  
विभागाध्यक्ष, गृहविज्ञान विभाग  
शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा(म.प्र.)

2. डॉ. आभा गोयल

विभागाध्यक्ष, गृहविज्ञान विभाग  
शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)

28(2) तीन

1. रिक्त

28(2) चार

1. डॉ. गुंजा पेवार  
विभागाध्यक्ष, गृहविज्ञान विभाग  
शास. विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैहर(म.प्र.)

2. रिक्त

28(2) पाँच

1.

2.


अधिनियम 28 (3) के अन्तर्गत डॉ. अर्चना गुप्ता को गृहविज्ञान अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म0प्र0)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
3. अध्ययन मण्डल के समरत सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म0प्र0)
8. कुलगुरु जी के सचिव / कुलसचिव के निजसहायक

  
सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

  
15